शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 61-70 /52-1-2014-01(125)/13

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक** 10 जनवरी-14 **जनवरी, 2014**

विषय -12 वीं पंचवर्षीय योजना में अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, की दिनांक 12 व 13 सितम्बर, 2013 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 73वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद बिजनौर के विकास खण्ड-धमपुर (अल्लाहलपुर) में 12, विकास खण्ड- अफजलगढ़ में 30, विकास खण्ड- कोतवाली में 15, विकास खण्ड- नेहटौर में 15, विकास खण्ड-नजिबाबाद में 15, विकास खण्ड-किरतपुर में 12, विकास खण्ड- हल्दौर (खरी झालु) में 50 तथा विकास खण्ड-जलिलपुर में 12 टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट की स्थापना के भवन निर्माण के लिये केन्द्रांश की प्रथम किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 3/19(21)/2012-पी0पी0, दिनांक 27.09.2013 से जनपद बिजनौर के उक्त विकास खण्डों में टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट की स्थापना के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 579.60 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 289.80 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 1,44,90,000/-(रू0 एक करोड़ चौव्वालिस लाख नब्बे हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 1,44,90,000/-(रू0 एक करोड़ चौव्वालिस लाख नब्बे हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 2,89,80,000/- (रू0 दो करोड़ नवासी लाख अस्सी हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राविधानित बजट रू0 3000.00 लाख एवं अनुपूरक माग के माध्यम से उपलब्ध बजट रू0 2000.00 लाख अर्थात रू0 2000.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रू८

विकास खण्ड- धमपुर (अल्लाहलपुर)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्राश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्त प्रथम किश्त		कुल अवमुक्त धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बिजनौर	टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट की स्थापना	12	3.60	21.60	21.60	43.20	10.80	10.80	21.60
विकास खण्ड-अफजलगढ़										
2	,,	टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट की स्थापना	30	3.60	54.00	54.00	108.00	27.00	27.00	54.00
विकास खण्ड-कोतवाली										
3	,,	टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट की स्थापना (TTSP)	15	3.60	27.00	27.00	54.00	13.50	13.50	27.00
विकास खण्ड-नेहटौर										
4	,,	टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट की स्थापना	15	3.60	27.00	27.00	54.00	13.50	13.50	27.00
विकास खण्ड-नजिबाबाद										
5	,,	टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट की स्थापना	15	3.60	27.00	27.00	54.00	13.50	13.50	27.00
विकास खण्ड-किरतपुर										
6	,,	टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट की स्थापना	12	3.60	21.60	21.60	43.20	10.80	10.80	21.60
विकास खण्ड-हल्दौर (खरी झालु)										
7	,,	टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट की स्थापना	50	3.60	90.00	90.00	180.00	45.00	45.00	90.00
विकास खण्ड-जलिलपुर										
8	,,	टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट की स्थापना	12	3.60	21.60	21.60	43.20	10.80	10.80	21.60
		योग=	161	28.80	289.80	289.80	579.60	144.90	144.90	289.80

1- अवमुक्त धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति यदि आवश्यक हो, प्राप्त करके ही किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य-मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-02 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को हस्तान्तरित की जायेगी। धनराशि अवमुक्त किये जाने की तिथि से कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को 03 माह में पूरा कर लिया जायेगा। कार्य को कुल अनुमोदित /स्वीकृत लागत से पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं निदेशक, उ0प्र0 जल निगम के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4- मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट की स्थापना के फोटोग्राफ्स तथा पेयजल आपूर्ति योजना-स्थल की दो-02 प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी।

5- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-02 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार आहरित कर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

6- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट की स्थापना के सम्बन्ध में शासन के सम्बन्धित विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल-रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत लगाये जाने वाले टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट की स्थापना के मानक, क्षेत्रफल आदि वही प्रभावी रहेंगे, जो टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट की स्थापना के लिए पेयजल से सम्बन्धित मूल विभाग में निर्धारित हैं।

8- टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट की स्थापना का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

9- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- उक्त के फल स्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0117-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना (के0 75-रा0 25)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-1532(3)/दस-2013, दिनांक 11.12.2013 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या GI-10 (1)/बावन-1-2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथाआवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त धनराशि से प्रश्नगत कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण कराने का कष्ट करें।

7- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बिजनौर।

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

10- वित्त-ई-11 को एक प्रति तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति।

11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
उप सचिव।